सेवा में,

सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,उत्तराखंड शासन

विषय: बिना पी०जी० उत्तीर्ण एवं बिना UMC पंजीकरण के चिकित्सकों की तैनाती किए जाने तथा नियमों की गंभीर अनदेखी के संबंध में शिकायत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि DG Health Uttarakhand के पत्रांक 2980 दिनांक 30 जनवरी 2026 की संस्तुतियों के आधार पर उत्तराखंड शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा आदेश संख्या 379892 दिनांक 17 मार्च 2026 के क्रम में 30 पी०जी० चिकित्सकों की तैनाती संबंधी आदेश निर्गत किए गए।**(संलग्न)**

उक्त DG Health Uttarakhand के पत्रांक 2980 दिनांक 30 जनवरी 2026 में तालिका-02 के अंतर्गत 18 चिकित्सकों के संबंध में उल्लेख किया गया कि उनमें से 02 चिकित्सक अनुत्तीर्ण हैं तथा 16 चिकित्सक पी०जी० उत्तीर्ण हैं परंतु उनका UMC में पंजीकरण नहीं हुआ है।

किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त DG Health Uttarakhand के पत्रांक 9217 दिनांक 16 अप्रैल 2026 **(संलग्न)** से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अत्यंत गंभीर तथ्य प्रकाश में आए हैं **कि DG Health Uttarakhand के पत्रांक 2980 दिनांक 30 जनवरी 2026 की संस्तुतियों में तालिका-02 के क्रम संख्या 01 से 10 तक अंकित चिकित्सकों द्वारा पी०जी० परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं की गई थी तथा उनके द्वारा UMC में पी०जी० पंजीकरण भी नहीं कराया गया था।**

यह तथ्य अत्यंत गंभीर, चिंताजनक एवं नियम-विरुद्ध प्रतीत होते हैं, क्योंकि बिना पी०जी० उत्तीर्ण किए कोई भी चिकित्सक न तो UMC में पी०जी० पंजीकरण प्राप्त कर सकता है और न ही संबंधित विशेषज्ञता में चिकित्सकीय कार्य करने का वैधानिक अधिकार रखता है। इस संबंध में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल द्वारा अपने पत्र संख्या 3940 दिनांक 06/05/2025 **(संलग्न)** के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि बिना UMC पंजीकरण के चिकित्सकीय कार्य करना दंडनीय अपराध है।

इसके बावजूद संबंधित प्रकरण में समस्त नियमों एवं विधिक प्रावधानों की खुली अवहेलना की गई प्रतीत होती है। अत्यंत गंभीर विषय यह भी है कि आज दिनांक तक संबंधित चिकित्सकों के पी०जी० डिग्री प्रमाण-पत्र एवं UMC पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया की वैधता एवं पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होता है।

प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि तथ्यों को छिपाकर एवं नियमों को दरकिनार कर तैनाती आदेश निर्गत किए गए, जिससे शासन, चिकित्सा व्यवस्था तथा आम जनता के विश्वास को गंभीर क्षति पहुंची है। यदि बिना वैध योग्यता एवं बिना वैधानिक पंजीकरण के चिकित्सकों

द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकीय कार्य कराया गया है, तो यह न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है बल्कि जनस्वास्थ्य एवं रोगियों की सुरक्षा के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराते हुए—

1. संबंधित समस्त चिकित्सकों के पी०जी० उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र एवं UMC पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जाए।
2. बिना वैध योग्यता एवं पंजीकरण के तैनाती आदेश जारी किए जाने की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।
3. दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जाए।
4. जांच पूर्ण होने तक संदिग्ध तैनाती आदेशों पर आवश्यक रोक/पुनर्विचार किया जाए।

अन्यथा प्रकरण को सक्षम वैधानिक एवं न्यायिक मंचों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

जनहित मे आपकी सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।

संलग्न- उकतानुसार

दि 12-05-2026

भवदीय

12/5/2026

(चन्द्र शेखर जोशी)
पूर्व कृषि अधिकारी /सामाजिक कार्यकर्ता /RTI Activist
म0स0 7/254, कालिका कुंज, ब्लाक आफिस के पास
जून एस्टेट रोड भीमताल (नैनीताल) उत्तराखंड 263136
MOB-6396260042 मेल ID-csjoshi1166@gmail.com

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्याः–2प / रा0पु0 / सू0अ0 / 37 / 2026 / 9217 देहरादून, दिनांकः– 16 अप्रैल, 2026

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर जोशी
म0सं0–7 / 254 कालिका कुंज,
नियर ब्लॉक ऑफिस, जून एस्टेट रोड़,
भीमताल, नैनीताल, पिन–263136, मो0न0–6396260042

विषयः– **सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत श्री चन्द्रशेखर जोशी, नियर ब्लॉक आफिस, भीमताल, नैनीताल का अनुरोध पत्र पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी–केन्द्रीय प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून के पत्र संख्या–21प / सू0अ0 / 12 / 2024 / 7877, दिनांक 23 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत प्राप्त आपका अनुरोध पत्र दिनांक 19.03.2026 जो कि इस पटल पर दिनांक 24.03.2026 को प्राप्त हुआ है, में चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है :–

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अभिलेखानुसार आपके अनुरोध पत्र में चाही गई धारित सूचना निम्नानुसार आपको उपलब्ध कराई जा रही है :–

क्र.सं.	बिन्दु	उत्तर / सूचना
1.	पत्रांक संख्या 02 / रा०पू० / 02 / 2025 / 2980 दिनांक 30.01.2026 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाएं।	धारित सूचना की प्रमाणित प्रति हेतु कुल पृष्ठ–03 की सूचना हेतु प्रति पृष्ठ–2 / –रूपये, कुल रूपये 06 / – की धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त धारित सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।
2.	उक्त विषय से संबंधित आपके कार्यालय की संपूर्ण नोटशीट (File Noting) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए, जिसमें प्रस्ताव तैयार करने, परीक्षण करने एवं अनुमोदन की प्रक्रिया अंकित हो।	धारित सूचना की प्रमाणित प्रति हेतु कुल पृष्ठ–13 की सूचना हेतु प्रति पृष्ठ–2 / –रूपये, कुल रूपये 26 / – की धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त धारित सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।
3.	उक्त आदेश में उल्लिखित कम संख्या 01 से 18 तक के विशेषज्ञ चिकित्सकों के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा संधारित निम्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध कराई जाएः (क) प्रत्येक चिकित्सक की PG (Post Graduate) डिग्री / विशेषज्ञता प्रमाण पत्र (ख) उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में PG पंजीकरण प्रमाण पत्र	धारित सूचना की प्रमाणित प्रति हेतु कुल पृष्ठ–07 की सूचना हेतु प्रति पृष्ठ–2 / –रूपये, कुल रूपये 14 / – की धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त धारित सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।
4.	उपरोक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हेतु प्रस्ताव भेजते समय उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीकरण एवं बेध डिग्री का सत्यापन आपके कार्यालय द्वारा किया गया होगा। इसके संबंध में A) सबंधित जांच / सत्यापन अभिलेख की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। B) जाच हेतु जिम्मेदार अधिकारी का विवरण (नाम, पदनान) प्रदान किया जाए।	सूचना बिन्दु संख्या–02 में समाहित है।

उक्त लिस्ट से कुछ चिकित्सकों का PG पंजीकरण प्रस्ताव भेजने/आदेश जारी होने की तिथि तक नहीं था, तो ऐसे चिकित्सकों को विशेषज्ञ पद पर तैनात करने का विधिक आधार/नियम शासनादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।	सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अनुसार "स्पष्ट रूप से चिन्हित सूचना मांगनी चाहिए। कुछ तथ्यों का उल्लेख करते हुये उन पर लागू नियम/अधिनियम/शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने की मॉग करना अनुचित है। लोक सूचना अधिकारी से अपने विवेक से उल्लेख किये गये तथ्यों के आधार पर नियम/अधिनियम/शासनादेश चिन्हित करने की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप में लोक सूचना अधिकारी से मत मांगना है जो सूचना के अधिकार में प्राविधानित नही है।"

कृपया निम्नानुसार अवगत होना चाहे कि:–

- आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अनुरूप सभी सूचनाए/अभिलेख पी0डी0एफ0 फार्म में सूचना अधिकार नियमावली 2013 के नियम6(ग)(1) के अन्तर्गत सी0डी0/डी0वी0डी0 या मेल आई0डी0 पर चाही गई है। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम की मार्गदर्शिका के पृष्ठ 87 के बिन्दु 6 में स्पष्ट वर्णित है कि "नागरिक को डिस्केट्स, फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि मांगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी युक्ति में पहले से सुरक्षित है, जिससे उसको डिस्केट आदि में स्थानांतरित किया जा सके।" अतः उपरोक्त सूचना सी0डी0 यह सूचना कम्पूटर अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में धारित नही है।
- डाक शुल्क के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की मार्गदर्शिका के पृष्ठ 79 के बिन्दु 7 में स्पष्ट वर्णि है कि "सूचना जो मांगी गयी है, उसका शुल्क तथा सूचना को अनुरोधकर्ता को पहुंचाने का शुल्क सूचना के लिए अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर कभी भी मांगा जा सकता है।" अतः उपर्युक्त नियमों के अधीन शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- आपके द्वारा चाही गई सूचना को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

क्र.सं.	सामग्री या व्यय की मद	दर	धनराशि रूपये में	डाक शुल्क	कुल धनरांशि
1	वॉछित सूचनाओं की प्रतियां कुल पृष्ठ–23	रू0 02/– प्रति पृष्ठ	कुल 46/– रूपये	50/–रूपंये	96/–

अतः उक्त धनराशि रूपये **96/–** (रूपये छियान्वें मात्र) को यथाशीघ्र गैर भारतीय न्यायिक पत्र/भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट या बैकर्स चैंक जो विभाग के लोक सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के नाम हो या कार्यालय में नगद जमा करें/करवा दें। मांगी गयी सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जायेगा।

उक्त सूचना से संतुष्ट न रहने पर पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :–

–: **प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता** :–

अपीलीय अधिकारी/महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, ग्राम–डांडा लखौण्ड, पो0ओ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

भवदीय,

(प्रीति पन्त)

लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)।

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्याः–2प / रा0पु0 / सू0अ0 / 37 / 2026 / 10180 देहरादून, दिनांकः– 27 अप्रैल, 2026

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर जोशी
म0सं0–7 / 254 कालिका कुंज,
नियर ब्लॉक ऑफिस, जून एस्टेट रोड़,
भीमताल, नैनीताल, पिन–263136, मो0न0–6396260042

विषयः– **सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत श्री चन्द्रशेखर जोशी, नियर ब्लॉक आफिस, भीमताल, नैनीताल का अनुरोध पत्र पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया लोक सूचना अधिकारी / संयुक्त निदेशक(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादूनं के पत्र संख्या–2प / रा0पु0 / सू0अ0 / 37 / 2026 / 9217 दिनांक 16 अप्रैल, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप ने ई–मेल पत्र दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया है कि आपके दिनांक 23.04.2026 को अतिरिक्त शुल्क जमा करा दिया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपके द्वारा अपने मूल अनुरोध पत्र दिनांक 19.03.2026 में चाही गयी **बिन्दु–01,02,03 एवं 04** की सूचना कुल 23 पृष्ठों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस पत्र के माध्यम से दी गयी सूचना से संतुष्ट न रहने पर पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :–

–: प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता :–

अपीलीय अधिकारी / महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, ग्राम–डांडा लखौण्ड, पो0ओ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(वी0पी0 सिंह)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक (प्रशासन)।

पृ0प0सं0–2प / रा0पु0 / सू0अ0 / 37 / 2026 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– लोक सूचना अधिकारी–केन्द्रीय प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून के पत्र संख्या–21प / सू0अ0 / 12 / 2024 / 7877, दिनांक 23 मार्च, 2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(वी0पी0 सिंह)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक (प्रशासन)।

Received on 11/5/2026

बिन्दु - (1) (1)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेलः–dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्र संख्या– 2प / रा0पु0 / 02 / 2025 / 2900 देहरादून दिनांक– 10 जनवरी, 2026

सेवा में,

सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(चिकित्सा अनुभाग–1)

विषयः– पी0जी0 पूर्ण किये जाने के उपरान्त चिकित्सकों उनकी विशेषज्ञता के अनुसार तैनाती प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों द्वारा अपने मूल तैनाती स्थल पर पी0जी0 उपरान्त योगदान / कार्यभार ग्रहण किया गया है। सूची तालिकानुसार निम्नांकित प्रस्तावित है :–

तालिका–1

क्र. स.	चिकित्सक का नाम	विषय / उ0मे0का0 का पंजीकरण संख्या	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रस्तावित तैनाती
1	डा0 अंजली पवार	Anaesthesiology /10851	प्रा0स्वा0के0 टाईप–ए साकरसैण, पौड़ी।	उप जिला चिकित्सालय विकासनगर, देहरादून।
2	डा0 शिप्रा चन्द्रा	Anaesthesiology /9110	सामु0स्वा0केन्द्र, गरमपानी, नैनीताल।	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।
3	डा0 कमल किशोर	Forensic Medicine /7459	सामु0स्वा0केन्द्र सुयालबाड़ी, नैनीताल।	बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल।
4	डा0 संजय डालाकोटी	Orthopaedics/ 9000	प्रा0स्वा0के0 गनाई गंगोलीहाट पिथौरागढ।	जिला चिकित्सालय, पौड़ी।
5	डा0 गौरव कुमार	Ophthalmology/ 8485	प्रा0स्वा0के0 सिमलखा, नैनीताल।	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल।
6	डा0 पल्लवी वर्मा	D.A. (Dip. In Anesthesiology) /8696	सामु0स्वा0के0 भगवानपुर, हरिद्वार।	उप जिला चिकित्सालय, रूड़की हरिद्वार।
7	डा0 मणि भूषण पन्त	MD (Microbiology)/ 4767	हाई कोर्ट डिस्पेन्सरी, नैनीताल।	बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल।
8	डा0 आशीष सागवान	MS (General Surgery)/8019	सामु0स्वा0केन्द्र, सहसपुर, देहर दून।	सामु0स्वा0 केन्द्र, बीरोंखाल पौड़ी।
9	डा0 गिरीश सिंह रावत	MD (Anesthesiology)/8971	प्रा0स्वा0केन्द्र छिददरवाला, देहरादून।	जिला चिकित्सालय [illegible]

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि0 स्वा0 एवं प0 क0 उत्तराखण्ड

10	डा0 नितिन मलिक	MD (Forensic Medicine)/ 11035	प्रा0स्वा0केन्द्र, देवलकोट, गैरसैण, चमोली।	जिला चिकित्सालय, (कोरोनेशन) देहरादून।
11	डा0 गार्गी त्यागी	MS(General Surgery)/8222	सामु0स्वा0केन्द्र, भगवानपुर, हरिद्वार	जिला चिकित्सालय, (कोरोनेशन) देहरादून।
12	डा0 अमन सैफी	MS (ENT)/8220	सामु0स्वा0केन्द्र, चकराता, देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।

तालिका–2 (बिना पंजीकरण/अनुतीर्ण चिकित्सकों सहित)

क्र. स.	चिकित्सक का नाम	विषय	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रस्तावित तैनाती
1	डा0 मुकेश वर्मा	ENT	प्रा0स्वा0के0 किर्खू, पाटीसैंण, पौड़ी।	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।
2	डा0 दीपिका	General Medicine	सामु0स्वा0केन्द्र बीरोखाल, पौडी।	सामु0स्वा0केन्द्र, बीरोंखाल, पौडी।
3	डा0 दीक्षा बिष्ट	General Surgery	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, मयरावना, चकराता, देहरादून।	उप जिला चिकित्सालय, थैलीसैण, पौडी।
4	डा0 शिल्पी	OBG	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, डाडरबगड, चमोली।	सामु0स्वा0 केन्द्र, पावौ, पौड़ी।
5	डा0 रूचिका कविदयाल	OBG	प्रा0स्वा0के0 हवालबाग, अल्मोड़ा।	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ।
6	डा0 हेमा असवाल	Paediatrics	सामु0स्वा0के0 अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग।	सामु0स्वा0के0 अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग।
7	डा0 गरिमा	Respiratory Medicine	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, बाड़ेछीना, अल्मोड़ा।	उप जिला चिकित्सालय, थैलीसैण, पौड़ी।
8	डा0 निवेदिता सजवाण	Pathology	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, हटाल,चकराता, देहरादून।	उप जिला चिकित्सालय, थैलीसैण, पौडी।
9	डा0 भारती बलूनी	Community Medicine	उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून।	सामु0स्वा0केन्द्र, पाबौ, पौडी।
10	डा0 प्रीति गौड़	Anaesthesiology	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, द्वारीखाल, पौड़ी।	सामु0स्वा0केन्द्र, पाबौ, पौडी।
11	डा0 सीमा शर्मा	General Surgery	सामु0स्वा0केन्द्र, चकराता, देहरादून।	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
12	डा0 सोनम सिंह	OBG	सामु0स्वा0केन्द्र, सहिया, देहरादून।	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।
13	डा0 श्रेय कुमार	General Medicine	प्रा0स्वा0केन्द्र, देवलकोट, गैरसैण, चमोली।	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।
14	डा0 मोनिका नौटियाल	OBG	उप जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।
15	डा0 किरण रावत	General Medicine	प्रा0स्वा0केन्द्र, शैलेश्वर, कर्णप्रयाग, चमोली।	सामु0स्वा0केन्द्र, अगस्तयमुनि, रूद्रप्रयाग।
16	डा0 आजम अकील	ENT	सामु0स्वा0केन्द्र, नन्दानगर, चमोली।	जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।
17	डा0 शैफाली देउपा	MD (Pathology)	महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून

Digree Complete UMC No

डा0 लोकेश कुमार	MD (Anesthesiology)	प्रा0स्वा0केन्द्र, टाईप–ए, जानकीचट्टी, उत्तरकाशी	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्तानुसार तालिका–1 में अंकित 12 चिकित्सकों के उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल के पंजीकरण प्राप्त है तथा तालिका–2 में 18 चिकित्सको के उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल पंजीकरण प्रमाण–पत्र आप्राप्त है, साथ ही तालिका–2 में क0सं0–04 व 05 पर अंकित चिकित्सक पी0जी0 परीक्षा में अनुत्तीर्ण है।

अतः उक्तानुसार अवगत होते हुये प्रकरण के निस्तारण हेतु शासकीय दिशा निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

विज्ञप्ति-(02)

(1)

टीपे और आज्ञायें

महानिदेशक / निदेशक / संयुक्त निदे0 (प्रशा0) / सहायक निदे0(प्रशा0) / मु0प्र0अधि0

कृपया संयुक्त निदेशक(प्रशासन) महोदय द्वारा अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर से प्राप्त 18 पी0जी0 चिकित्सकों की तैनाती हेतु पत्रावली प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षा की गई है।

उक्त सूची के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या–टी–1 / 2024–25 / 113, दिनांक 07.01.2026 (पताका–2) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें उनके द्वारा पी0जी0 पूर्ण किये जाने के उपरान्त डा0 मणिभूषण पन्त, डा0 कमल किशोर डा0 शिप्रा, तथा डा0 गौरव कुमार के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराते हुये उनके उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण भी उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या–स्था0चिकि0अधि / स्था0 / 2025–26 / 5466, दिनांक 05.01.2026 द्वारा डा0 पल्लवी वर्मा के पी0जी0 पूर्ण किये जाने तथा उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल का पंजीकरण उपलब्ध कराया गया है। सूची निम्नानुसार है :–

क्र. स.	चिकित्सक का नाम	विषय / उ0मे0का0 का पंजीकरण संख्या	वर्तमान तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	डा0 अंजली पंवार	Anaesthesiology /10851	प्रा0स्वा0के0 टाईप–ए साकरसैण, पौड़ी।	डा0 अंजली पंवार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके पति देहरादून में राजकीय सेवा में कार्यरत है एवं बुजुर्ग सांस ससुर को भी देखभाल की आवश्यकता है। जिस कारण अपना स्थानान्तरण देहरादून में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी के पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। (पताका–1)
2	डा0 शिप्रा चन्द्रा	Anaesthesiology /9110	सामु0स्वा0केन्द्र, गरमपानी, नैनीताल।	
3	डा0 मुकेश वर्मा	ENT	प्रा0स्वा0के0 किर्खू, पाटीसैंण, पौड़ी।	
4	डा0 दीपिका	General Medicine	सामु0स्वा0केन्द्र बीरोखाल, पौड़ी	
5	डा0 दीक्षा विष्ट	General Surgery	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, मयरावना, देहरादून।	
6	डा0 शिल्पी	OBG	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, डाडरबगड, चमोली।	सहायक निदेशक महोदय द्वारा दूरभाष पर प्राप्त सूचनानुसार योगदान नही किया गया है। Fail
7	डा0 रूचिका कविदयाल	OBG	प्रा0स्वा0के0 ह्वालबाग, अल्मोड़ा।	सहायक निदेशक महोदय द्वारा दूरभाष पर प्राप्त सूचनानुसार चिकित्सक द्वारा परीक्षा पास नही की गई है। चिकित्सक अनुत्तीर्ण है। Fail
8	डा0 हेमा असवाल	Paediatrics	सामु0स्वा0के0 अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग।	

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि0 स्वा0 एवं प0 कल्याण उत्तराखण्ड

टीपे और आज्ञायें

9	डा0 गरिमा	Respiratory Medicine	[illegible] ए, बाडेछीना, अल्मोड़ा।	
10	डा0 कमल किशोर	FMT/7459	सामु0स्वा0केन्द्र सुयालबाड़ी, नैनीताल।	
11	डा0 निवेदिता सजवाण	Pathology	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, हटाल, देहरादून।	
12	डा0 भारती बलूनी	Community Medicine	उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून	
13	डा0 प्रीति गौड़	Anaesthesiology	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, द्वारीखाल, पौड़ी।	
14	डा0 चन्द्रिका शर्मा	OBS & Gynae	अल्मोड़ा।	सहायक निदेशक महोदय द्वारा दूरभाष पर प्राप्त सूचनानुसार चिकित्सक द्वारा परीक्षा पास नही की गई है। चिकित्सक अनुत्तीर्ण है।
15	डा0 महिमा रावत	General Surgery	जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग	योगदान नहीं किया गया है।
16	डा0 मोनिका राज	General Surgery	सा0स्वा0केन्द्र थत्यूड, टिहरी गढ़वाल।	योगदान नहीं किया है।
17	डा0 संजय डालाकोटी	Orthopaedics/ 9000	प्रा0स्वा0के0 गनाई गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	डा0 संजय डालाकोटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.01. 2026 द्वारा दाम्पत्य नीति के तहत अपनी तैनाती पत्नी डा0 सोनाली जोशी के साथ जिला चिकित्सालय पौडी में आर्थोपैडिक्स के रिक्त पद के सापेक्ष किये जाने हेतु पत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र पर पृथक से भी पत्रावली गतिमान है।
18	डा0 गौरव कुमार	Ophthalmology/ 8485	प्रा0स्वा0के0 सिमलखा, नैनीताल।	
19	डा0 पल्लवी वर्मा	D.A. (Dip. In Anesthesiology) /8696	सामु0स्वा0के0 भगवानपुर, हरिद्वार।	श्रीमती सीमा वर्मा द्वारा सचिव महोदय को प्रेषित अपने पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री की तैनाती मेला चिकि0हरिद्वार, जिला चि0हरिद्वार, रूड़की, गांधी शताब्दी चि0देहरादून, प्रेमनगर, एवं कोरोनेशन में तैनाती हेतु अनुरोध किया गया है।
20	डा0 मणि भूषण पन्त	MD (Microbiology)/ 4767	हाई कोर्ट डिस्पेन्सरी, नैनीताल।	

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक(प्रशासन) महोदय द्वारा उक्तानुसार पी0जी0 चिकित्सकों के तैनाती हेतु पत्रावली में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि0 स्वा0 एवं प0

-47-

टीपे और आज्ञायें

परन्तु प्रकरण पर यह भी अवगत कराना है कि उक्त सूची के क्रम संख्या- 3, 4, 5, 6, 7 अनुत्तीर्ण), 8, 9, 11, 12, 13, 14 (अनुत्तीर्ण) 15, 16 के उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्राप्त नही हुये है और ना ही पी0जी0 उर्त्तीण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्राप्त हुये है। पूर्व में इस प्रकार के पी0जी0 उत्तीर्ण चिकित्सकों की तैनाती किये जाने के उपरान्त सूचना अधिकार अधिनियम के माध्मय से श्री चन्द्रशेखर जोशी द्वारा सूचना मॉगी गई थी। जिसमें उनको दी गई गयी सूचना के आधार पर पूर्व में पी0जी0 तैनात किये गये कतिपय चिकित्सकों द्वारा उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण उपलब्ध नही कराया गया था। वर्तमान में भी उक्त कम संख्या पर उल्लिखित चिकित्सकों के पी0जी0 पंजीकरण/पी0जी0 पूर्ण किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। जिस कारण से उक्त चिकित्सकों के पी0जी0 पूर्ण किये जाने के उपरान्त उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल का पंजीकरण/पी0जी0 पूर्ण किये जाने की सूचना प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्तानुसार अवगत होते हुये प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश निर्गत करना चाहे/मार्ग दर्शन प्रदान करना चाहे।

9/1/2026
(विवेक राणा)
प्रधान सहायक

09/01/26
(डा0 ...)
... चिकित्सा ...
... उत्तराखण्ड

Director (MH)

09/1/26
डा0 शिखा ...
निदेशक

09/01/26
CAO

13/01/26

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि0 स्वा0 एवं प0 क0 ... उत्तराखण्ड

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपे और आज्ञायें

महानिदेशक / निदेशक / संयुक्त निदे0 (प्रशा0) / सहायक निदे0(प्रशा0) / मु0प्र0अधि0

कृपया गत नोट शीट पृष्ठ संख्या–50 से 52 के अनुसार महानिदेशक महोदया एवं संयुक्त निदेशक / सहायक निदेशक(प्रशासन) से हुई वार्ता के कम संशोधित प्रस्ताव पुनः उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है कि जनपदो में आतिथि तक पी0जी0 पूर्ण उपरान्त योगदान किये जाने वाले चिकित्सको की प्राप्त सुचनानुसार सूची तैयार कर ली जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन चिकित्सकों द्वारा पी0जी0 के उपरान्त अपने तैनाती स्थल पर योगदान / कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तथा इन चिकित्सकों का पंजीकरण / उत्तीर्ण नही है उन चिकित्सकों की भी तैनाती का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाये।

उक्त के कम में सहायक निदेशक(प्रशासन) द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को महानिदेशालय के प्रेषित पत्र संख्या–2प / रा0पु0 / 02 / 2025 / 34675 दिनांक 24.12.2025 में अंकित 18 चिकित्सकों के सम्बन्ध में जनपदो के नियंत्रण अधिकारियो से दूरभाष पर वार्तानुसार उक्त पत्र में अंकित डा0 चन्द्रिका शर्मा, डा0 महिमा रावत, डा0 मोनिका राज के अतिरिक्त अन्य समस्त चिकित्सको द्वारा अपने मूल तैनाती स्थल पर पी0जी0 पूर्ण किये जाने के उपरान्त योगदान / कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक 20.01.2026 तक पुष्टि की गयी है। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–स–08 / चिकि0अधि0 / 2025–26 / 1685 दिनांक 06.10.2025 डा0 लोकश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी के पत्र संख्या–ई–3 / 2025–26 / 2389 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा डा0 शैफाली देउपा एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या–स्था0चि0अधि / स्था0 / 2025–26 / 5385 दिनांक 15.01.26 के द्वारा डा0 गार्गी त्यागी की पी0जी0 पूर्ण उपरान्त योगदान किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार महानिदेशक महोदया एवं संयुक्त निदेशक / सहायक निदेशक(प्रशासन) के स्तर से प्राप्त आदेशानुसार पी0जी0 उपरान्त योगदान / कार्यभार ग्रहण करने वाले चिकित्सकों की नवीन तैनाती स्थल (बिना पंजीकरण / अनुतीर्ण चिकित्सकों सहित) की तालिका निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

तालिका–1

क्र. स.	चिकित्सक का नाम	विषय / उ0मे0का0 का पंजीकरण संख्या	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रस्तावित तैनाती	अभ्युक्ति
1	डा0 अंजली पंवार	Anaesthesiology /10851	प्रा0स्वा0के0 टाईप–ए साकरसैण, पौड़ी।	उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर, देहरादून।	डा0 अंजली पंवार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके पति देहरादून में राजकीय सेवा में कार्यरत है एवं बुजुर्ग सास ससुर को भी देखभाल की आवश्यकता है। जिस कारण अपना स्थानान्तरण देहरादून में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। (पताका–1)
2	डा0 शिप्रा	Anaesthesiology	सा0स्वा0केन्द्र,	जिला	

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि0 स्वा0 एवं प0 क0

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

	चन्द्रा	/9110	नैनीताल।	…सालय, बागेश्वर।	
3	डा0 कमल किशोर	Forensic Medicine /7459	सामु0स्वा0केन्द्र सुयालबाड़ी, नैनीताल।	बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल।	
4	डा0 संजय डालाकोटी	Orthopaedics/ 9000	प्रा0स्वा0के0 गनाई गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	जिला चिकित्सालय, पौड़ी।	डा0 संजय डालाकोटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.01.2026 द्वारा दाम्पत्य नीति के तहत अपनी तैनाती पत्नी डा0 सोनाली जोशी के साथ जिला चिकित्सालय पौडी में आर्थोपैडिक्स के रिक्त पद के सापेक्ष किये जाने हेतु पत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र पर पृथक से भी पत्रावली गतिमान है (पताका–2)।
5	डा0 गौरव कुमार	Ophthalmology/ 8485	प्रा0स्वा0के0 सिमलखा, नैनीताल।	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।	संबधित चिकित्सक ने अपनी द्वारा माताजी का स्वास्थ्य खराब एवं पिताजी राजकीय तैनाती जनपद से बाहर होने के कारण अपनी तैनाती 1–बी0डी0 पाण्डे, नैनीताल 2--बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी 3- जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा 4–गोबिन्द सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोडा हेतु अनुरोध किया गया है(पताका–3)।
6	डा0 पल्लवी वर्मा	D.A. (Dip. In Anesthesiology) /8696	सामु0स्वा0के0 भगवानपुर, हरिद्वार।	उप जिला चिकित्सालय, रूडकी, हरिद्वार।	श्रीमती सीमा वर्मा द्वारा सचिव महोदय को प्रेषित अपने पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री की तैनाती मेला चिकि0हरिद्वार [illegible]

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि0 स्वा0 एवं प0 क0
उत्तराखण्ड

(4)

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

					चि0हरिद्वार, रूड़की, गांधी शताब्दी चि0देहरादून, प्रेमनगर, एवं कोरोनेशन में तैनाती हेतु अनुरोध किया गया है(पताका–4)।
7	डा0 मणि भूषण पन्त	MD (Microbiology)/ 4767	हाई कोर्ट डिस्पेन्सरी, नैनीताल।	बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल।	
8	डा0 आशीष सांगवान	MS (General Surgery)/8019	सामु0स्वा0केन्द्र, सहसपुर, देहरादून।	सामु0स्वा0 केन्द्र, बीरोंखाल, पौड़ी।	
9	डा0 गिरीश सिंह रावत	MD (Anesthesiology)/8971	प्रा0स्वा0केन्द्र, छिद्दरवाला, देहरादून।	जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।	
10	डा0 नितिन मलिक	MD (Forensic Medicine)/ 11035	प्रा0स्वा0केन्द्र, देवलकोट, गैरसैण, चमोली।	जिला चिकित्सालय, (कोरोनेशन) देहरादून।	
11	डा0 गार्गी त्यागी	MS(General Surgery)/8222	सामु0स्वा0केन्द्र, भगवानपुर, हरिद्वार	जिला चिकित्सालय, (कोरोनेशन) देहरादून।	
12	डा0 अमन सैफी	MS (ENT)/8220	सामु0स्वा0केन्द्र, चकराता, देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।	

तालिका–2 (बिना पंजीकरण / अनुतीर्ण चिकित्सकों सहित)

क्र. स.	चिकित्सक का नाम	विषय / उ0मे0का0 का पंजीकरण संख्या	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रस्तावित तैनाती	अभ्युक्ति
1	डा0 मुकेश वर्मा	ENT	प्रा0स्वा0के0 किर्खू, पाटीसैंण, पौड़ी।	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।	
2	डा0 दीपिका	General Medicine	सामु0स्वा0केन्द्र बीरोंखाल, पौडी।	सामु0स्वा0केन्द्र, बीरोंखाल, पौडी।	
3	डा0 दीक्षा बिष्ट	General Surgery	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, मयरावना, चकराता, देहरादून।	उप जिला चिकित्सालय, थैलीसैण, पौड़ी।	
4	डा0 शिल्पी	OBG	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए,	सामु0स्वा0 केन्द्र, पावौं,	सहायक निदेशक महोदय द्वारा दूरभाष

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि0 स्वा0 एवं प0 क0 उत्तराखण्ड

विभाग
पत्रावली संख्या

(12)

टीपें और आज्ञायें

			चमोली।	...ड़ी।	पर प्राप्त सुचनानुसार चिकित्सक द्वारा परीक्षा पास नही की गयी है। चिकित्सक अनुत्तीर्ण है।
5	डा0 रुचिका कविदयाल	OBG	प्रा0स्वा0के0 हवालबाग, अल्मोड़ा।	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।	सहायक निदेशक महोदय द्वारा दूरभाष पर प्राप्त सुचनानुसार चिकित्सक द्वारा परीक्षा पास नही की गयी है। चिकित्सक अनुत्तीर्ण है।
6	डा0 हेमा असवाल	Paediatrics	सामु0स्वा0के0 अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग।	सामु0स्वा0के0 अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग।	
7	डा0 गरिमा	Respiratory Medicine	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, बाड़ेछीना, अल्मोड़ा।	उप जिला चिकित्सालय, थैलीसैण, पौडी।	
8	डा0 निवेदिता सजवाण	Pathology	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, हटाल,चकराता, देहरादून।	उप जिला चिकित्सालय, थैलीसैण, पौडी।	
9	डा0 भारती बलूनी	Community Medicine	उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून।	सामु0स्वा0केन्द्र, पाबौ, पौडी।	
10	डा0 प्रीति गौड	Anaesthesiology	प्रा0स्वा0केन्द्र टाईप ए, द्वारीखाल, पौड़ी।	सामु0स्वा0केन्द्र, पाबौ, पौडी।	
11	डा0 सीमा शर्मा	General Surgery	सामु0स्वा0केन्द्र, चकराता, देहरादून।	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	
12	डा0 सोनम सिंह	OBG	सामु0स्वा0केन्द्र, सहिया, देहरादून।	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।	
13	डा0 श्रेय कुमार	General Medicine	प्रा0स्वा0केन्द्र, देवलकोट, गैरसैण, चमोली।	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।	
14	डा0 मोनिका नौटियाल	OBG	उप जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।	
15	डा0 किरण रावत	General Medicine	प्रा0स्वा0केन्द्र, शैलेश्वर, कर्णप्रयाग,	सामु0स्वा0केन्द्र, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग।	

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
...चि0 स्वा0 एवं प0 क0...

- 57 -

विभाग
पत्रावली संख्या

(13)

टीपें और आज्ञायें

16	डा0 आजम अकील	ENT	चमोली। सामु0स्वा0केन्द्र, नन्दानगर, चमोली।	जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।	
17	डा0 शैफाली देउपा	MD (Pathology)	महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्र दिनांक 19.12. 2025 के माध्यम से डा0 शैफाली देउपा को पैथोलौजिस्ट के रिक्त पद के सापेक्ष महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल में तैनाती किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
18	डा0 लोकेश कुमार	MD (Anesthesiology)	प्रा0स्वा0केन्द्र, टाईप–ए, जानकीचट्टी, उत्तरकाशी	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	

उपरोक्तानुसार तालिका–1 में अंकित 12 चिकित्सको के उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल के पंजीकरण प्राप्त है तथा तालिका–2 में 18 चिकित्सको के उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल पंजीकरण प्रमाण–पत्र आप्राप्त है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि तालिका–2 में क0सं0–04 व 05 पर अंकित चिकित्सक पी0जी0 परीक्षा में अनुत्तीर्ण है।

अतः उक्तानुसार अवगत होते हुये प्राप्त आदेशों के अनुपालन शासन को तैनाती हेतु पत्र निर्गत किये जाने की सूची का अनुमोदन करने के साथ ही शासन को प्रेषित किये जाने वाले पत्र का आलेख अनुमोदित करना चाहे।

सहमति की दशा में उक्तानुसार अनुमोदन/आलेख हस्ताक्षरित करना चाहे।

13/ 29/1/26

29/1/2026
(विवेक राणा)
प्रधान सहायक

29/01/2026

29/01/26 CAO

14/ 29/1/26

29/01/26
(डा0 ...)
स्वास्थ्य सेवा ..., उत्तराखण्ड

29/01/26

Director(MH)
DH Pithoragarh में gynae / ... post ... PMS Female होगा ... V.C. ... Hosp ... अवगत किया गया कि ... Gynae ... contract ... Gynae maternity leave पर है।

... हेतु

30/1/26

29/01/26

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
... स्वा0 एवं प0 क...

UTTARAKHAND MEDICAL COUNCIL

Office of the Director General, Medical Health & FW Uttarakhan
Village –Danda Lakhond, P.O.GujraraSahastradhara Road
(Near Rajeev Gandhi Play Ground) Dehradun Ph no. 0135-2608897, 8077546220
Email Id :info@ukmedicalcouncil.org, **Web:www.ukmedicalcouncil.org**
(Constituted under section 30, of the Uttarakhand Medical Council Act, 2002)
अधिसूचनासंख्या 454 / विधायी एंव संसदीय कार्य / 2002

पंजीकृत / स्पीडपोस्ट / ईमेल

पत्रांक :उ0मे0का / सू0अ0 / 626 / 2025– 26 / 3940 देहरादून दिनांक06.05.2026

सेवा में,

चन्द्र शेखर जोशी,
पूर्व कृषि अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता
म0स0 7 / 254 कालिका कुंज,
ब्लॉक ऑफिस के पास,
जून इस्टेट रोड, भीमताल . 263136
जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड
मो0 नं0 6396260042 मेल –csjoshi1166@gmail.com

विषय : –सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री चन्द्र शेखर जोशी का ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त अनुरोध पत्र के सापेक्ष8 सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका 11 बिन्दूओं का अनुरोध पत्र दिनाकित 25.04.2026 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 27.04.2026 को प्राप्त हुआ हैः –

बिन्दू 01 के सापेक्ष संलग्नक 03 पृष्ठ।
बिन्दू 02 के सापेक्ष संलग्नक 01 पृष्ठ।
बिन्दू 06 के सापेक्ष सूचना धारित नहीं है।
बिन्दू 07 के सापेक्ष अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड आर्युविज्ञान परिषद् की वैबसाईट www.ukmedicalcouncil.org पर सभी पंजीकृत चिकित्सकों की सूची उपलब्ध है जिसे आप स्वंय अवलोकित कर सकते हैं।
बिन्दू 08 के सापेक्ष सूचना धारित नहीं है।
बिन्दू 09 के सापेक्ष संलग्नक 03 पृष्ठ।
बिन्दू 11 के सापेक्ष सूचना धारित नहीं है।

उपलब्ध करायी गयी सूचना से असंतुष्ट होने की स्थिति में सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है।

संलग्नक : 04 पृष्ठ।

अपीलीय अधिकारी का पताः
उपाध्यक्ष
उत्तराखण्ड आर्युविज्ञान परिषद्
कमरा नं0 67 – 68,
चि0स्वा0एवम् प0क0 उत्तराखण्ड स्वास्थ्य
सेवा महानिदेशालय डाण्डा लखोण्ड,
गुजराड़ा, देहरादून।

भवदीय

(डॉ0 सुधीर कुमार पाण्डे)
लोक सूचना अधिकारी / रजिस्ट्रार।

मि 2(1)(1

In pursuance of provision of clause (3) of article 348 of the "constitution of India" the Governor pleased to order of publication of the following English translation of notification No. /XXVIII-2-2004-216/2004 Dehradun: dated: September, 2004

Government of Uttaranchal
Section - 2
No. 2119 /XXVIII-2-2004-216/2004
Dehradun: dated: 06 September, 2004

NOTIFICATION

***

UTTARANCHAL MEDICAL COUNCIL RULES, 2004

In exercise of powers conferred by section 30 of the Uttaranchal Medical Council Act 2002 (Act 17 of 2002) and all other powers enabling it in this behalf, the Governor of Uttaranchal makes the following Rules:-

Preliminary

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. (a) These rules may be called the Uttaranchal Medical Council Rules 2004

(b) These Rules shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अभिलेख
देहरादून

DEFINITIONS

2. In these rules, unless the context requires otherwise-

(a) "Act" means the Uttaranchal. Medical Council Act ,2002

(b) "Council" means the Uttaranchal Medical Council.

(c) "Form" means a form appended to these rules.

(d) "Section means a section of the Act.

(e) Words and Phrases used-but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

REGISTRATION

RULES FOR REGISTRATION

2. Every pyerson who is engaged in prastic in Modern system Medicines or any of its Branches in Uttaranchal either in Govt. or in Private and those who hold qualifications

prescribed in Schedule First, Second and Third of Indian Medical Council Act ,1956 (Central Act 102 of 1956) shall have to get themselves re-registered at Uttaranchal .

In exercise of powers under section 10 (a) and 18 of the Uttaranchal Medical Council Act 2002, the Council shall provide for registration of medical practitioners and maintain the live register.

(1) Provisional Registration .

Any person who has completed final MBBS examination as provided under section 15(3) of the Act and intends to practice modern system of medicine in Uttaranchal.for Internship training at institution recognised by Uttaranchal Medical Council, can apply under section 18 of the Act, for registration in the register of the Council by applying to the Registrar in the prescribed form (Form-1) with attested copies of certificates of educational qualifications required, 4 passport size photographs and prescribed fees in the form of Bank draft / Banker's cheque payable to " Uttaranchal Medical Council, Dehradun" as maybe fixed from time to time by the Council 4 The Registrar shall issue a proper receipt for the application: The Registrar shall consider the application, and if found proper shall issue the following to the applicant within a reasonable period: ..

(a) A Certificate of Provisional Registration Form- 2)

(b) Photo Identity Card (Form-3)

(2) Registration

Any person who possesses qualification as laid down under 15(3) of the Act and wishes to practice modern system of medicine in Uttaranchal. can apply under section 15 of the Act, for registration in the live register of the Council by applying to the Registrar in the prescribed form (Form-4) with copies of certificates of educational qualification required, 4 passport size photographs and prescribed fees in the form of Bank draft / Banker's cheque payable to " Uttaranchal Medical Council,Dehradun" as may be prescribed from time to time by the Council. The Registrar shall issue a proper receipt for the application. The Registrar shall consider the application and if found in accordance with the requirement of Act shall issue the following to the applicant within a reasonable period:

(a) A Certificate of Registration (Form-5)

(b) A Photo Identity Card (Form-6)

उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अभिलेख

(3) Preparation of Register

(a) The register prescribed under section 15(2) of the Act shall include the following details of the registered medical practitioner:

- Registration No.
- Full name including father's/husband's name and surname and also the maiden name in case of a woman
- Date of birth
- Address of residence .
- Address of place of medical practice.
- Nationality

- Academic Qualifications and date on which the same were obtained
- Date of registration under the Act
- Date of removal and if subsequently re-registered, the date of entry after removal - Remarks such as warnings, merit certificate, awards etc.

(4) **Temporary Registration**

Persons registered in other State Councils/Medical Council of India would be permitted to practise modern system of medicine in Uttaranchal temporarily on submission of an application to the Registrar for upto a period of 3 months for which he/she would be issued written permission. After 3 months such permission would not be given without registration with the Uttaranchal Medical Council.

In case of persons registered in other State Councils/Medical Council of India visiting Uttaranchal for giving live demonstrations, Uttaranchal Medical Council would have to be informed by the institution in which the proposed procedures are to be performed.

(5) Transfer of Registration

Before granting registration to an applicant, the Uttaranchal Medical Council ,the Counsil shall inform the concerned Council where the applicant is already registered, in Uttaranchal Medical Council and that the old registration should be deemed to be cancelled. In case the State Council objects to registration by the Council and provides reasons for the same, the matter would be reconsidered by the Council and registration could be cancelled, if so decided upon.

(6) **Registration of Additional Qualifications**

Persons registered with the Council can apply for entering the additional qualifications acquired by them on the prescribed format (Form-8) in the Council Register on payment of fee prescribed by the Council. After entering of additional qualifications in the Register, the Council would intimate the applicant by post in this regard.

(7) **Renewal of Registration**

Renewal of registration would be done as per the bye laws of the Council within period specified by the council.

(8) **Restoration of Registration**

The Executive Committee of the Council may consider restoration of registration of a person whose name had been struck off the register In accordance with report of "Disciplinary Committee" following enquiry. In such a case procedure for fresh registration, if necessary, would be followed.

(9) **Publication of Register**

(a) The Registrar shall publish a list of registered practitioners after the publication of notice in the news papers and officical Gazette and also the date from which the same shall be effective under sub-section (5) of section 15 of the Act as the Council deems fit and subsequently every five years.

(b) Under section 20 of the Act, the Registrar shall publish annually on or before a date to be decided by the Executive Committee, an addendum and a corrigendum to the list published under (a) above.

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजिका में अंकित किया गया है।

(2) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यदि वह चाहता हो तो किसी 'इनक्वेसट' के अन्तर्गत कार्यवाही न करने को स्वतंत्र होगा।

सीमान्त प्राविधान जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होंगे

25. इस अधिनियम के सारे प्राविधान भारतीय आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होतें है के अतिरिक्त होंगे नही तो उसके अल्पीकरण में।

पंजीकृत होने की असत्य सूचना पर दण्ड का प्राविधान

26. यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कि नाम उस समय की पंजिका में अंकित न हो अथवा उसके द्वारा असत्य रूप से यह दर्शाया जाय कि वह पंजीकृत है अथवा ऐसे किसी संबंध से, किसी अभिनाम से अथवा शब्द व अक्षर जो इस उद्देश्य को दिखाने की नीयत से रखा गया हो कि उसका नाम पंजिका में अंकित है तो उस व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाने पर उसे अर्थदर्ण्ड दिया जायेगा जिसकी न्यूनतम सीमा रू0 25,000/- तथा उच्चतम सीमा रू0 50,000/- तक हो सकती है।

अधिनियम के अन्तर्गत असत्यता के आधार पर चिकित्सा व्यवसायों का होना अपराध होगा

27. इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा असत्य रूप से यह मान लिया जाता है कि वह चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है अथवा वह अधिनियम की धारा-2 खण्ड-(7) के अभिप्राय के अनुरूप चिकित्सक है अथवा व्यवसाय को आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कर सकता है तो वह सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जा सकेगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थ दंडित किया जा सकेगा जिसकी धनराशि पचास हजार रूपये तक हो सकती है अथवा दोनों सजायें एक साथ प्राप्त हो सकती हैं।

<u>स्पष्टीकरण</u> – इस प्राविधान के अन्तर्गत उस व्यक्ति को मात्र सजा दी जा सकती है जो इस अधिनियम की धारा-2 के खण्ड-(7) के अनुरूप चिकित्सा व्यवसायी होने का दावा करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशु चिकित्सक अथवा पशु शल्य चिकित्सक, होम्योपैथी, सिद्ध अथवा यूनानी की पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी व जो बी.ए.एम.एस. अथवा बी.आई.एम.एस. डिग्री धारक होंगे को दंडित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय जो इस अधिनियम के

28. (1) कोई न्यायालय जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से न्यन हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों

उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अभिलेख